

राजस्थान हाईकोर्ट में आरडीएक्स के तीन बम धमाकों की धमकी से हड़कंप मचा

सैशन कोर्ट की ऑफिशियल ई-मेल आईडी पर मिली “हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी”

–कार्यालय संवाददाता– जयपुर। राजधानी जयपुर के राजस्थान हाईकोर्ट को मंगलवार को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। लेकिन इस बाद मेल कर्ता ने सैशन कोर्ट की ऑफिशियल ई–मेल आईडी पर हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भेजी। जिसमें लिखा कि हाईकोर्ट में आरडीएक्स रखा है और तीन ब्लास्ट होंगे। न्यायाधीशों के चैंबर–बाथरूम में बम को प्लांट किया गया है। जितनी जल्दी हो सके, हाईकोर्ट को खाली करवा लो।

सैशन कोर्ट की ऑफिशियल ई–मेल आईडी पर हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर जयपुर पुलिस की ओर से हाईकोर्ट को खाली करवाया गया। पुलिस, एटीएस, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड ने चप्पे–चप्पे की तलाशी ली। हाई कोर्ट परिसर को खाली करवाकर गहन सर्वे अभियान चलाया गया। हालांकि ढाई घंटे तक चले सर्वे अभियान में कुछ नहीं मिलने के बाद धमकी भरा ई–मेल झूठा निकलने पर राहत की सांस ली।

सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी अशोक नगर) बालाराम ने बताया कि जयपुर के राजस्थान हाईकोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली। इस बार सेशन कोर्ट की ऑफिशियल ई–मेल आईडी पर मंगलवार सुबह धमकी



हाईकोर्ट ने बम की सूचना के बाद पुलिस, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड ने चप्पे–चप्पे की तलाशी ली।

भरा मेल भेजा मिला। जहां हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी सेशन कोर्ट की ई–मेल आईडी पर दी गई थी। धमकी भरे मेल में लिखा था कि जयपुर हाईकोर्ट में रखे आरडीएक्स में तीन ब्लास्ट होंगे। न्यायधीशों के चैंबर–बाथरूम में बम को प्लांट किया गया है। जितनी जल्दी हो सके हाईकोर्ट को खाली करवा लो।

एसीपी अशोक नगर ने बताया कि धमकी भरे ई–मेल का पता चलने पर तुरंत हाईकोर्ट की सुरक्षा को लेकर पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस के साथ ही डॉग स्कवायड, बम निरोधक दस्ता, सिविल डिफेंस व सभी सिस्कोरिटी एजेंसी मौके पर पहुंची। बम की धमकी के चलते तुरंत हाईकोर्ट को खाली करवाया गया। ढाई

■ ई-मेल भेजने वाले ने लिखा था कि “न्यायाधीशों के चैंबर-बाथरूम में बम प्लांट किया है; जितनी जल्दी हो सके, हाईकोर्ट खाली करवा लो”

■ बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वॉड और पुलिस ने करीब ढाई घंटे तक हाईकोर्ट परिसर के चप्पे-चप्पे की तलाश ली, कुछ नहीं मिलने पर राहत की सांस ली

घंटे तक चले सर्वे ऑपरेशन में हाईकोर्ट परिसर में किसी प्रकार की कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। बम की झूठी धमकी मिलने पर पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली।

अशोक नगर थानाधिकारी मोतीलाल शर्मा ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में हाईकोर्ट में बम की धमकी मिलने के बाद अब नियमित रूप से हाईकोर्ट परिसर में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु तलाशी अभियान में नहीं मिली है।

सैशन कोर्ट परिसर में भी हड़कंप मचा

वहीं सेशन कोर्ट की ईमेल आईडी पर फिर हाईकोर्ट में बम होने की धमकी मिलने के बाद सेशन कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। जहां पुलिस, एटीएस, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड ने चप्पे–चप्पे की तलाशी ली। सेशन कोर्ट परिसर को खाली करवाकर गहन सर्वे अभियान चलाया गया। हालांकि जांच में कुछ नहीं मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली है। सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी सदर) धर्मवीर सिंह ने बताया कि सेशन कोर्ट की ईमेल आईडी पर मंगलवार सुबह एक संदिग्ध मेल आया था।

इसमें हाईकोर्ट में बम प्लांट करने की धमकी दी गई थी। जल्दबाजी में पूरे ई–मेल को पढ़ा नहीं गया। सेशन कोर्ट को बम की धमकी की तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दे दी गई। पुलिस टीम सहित सिस्कोरिटी एजेंसी सूचना मिलते ही सेशन कोर्ट पहुंच सर्वे में जुटी। महज कुछ ही मिनट बाद ई–मेल में सेशन कोर्ट नहीं हाईकोर्ट को धमकी का पता चला। हालांकि एहतियात के तौर पर सेशन कोर्ट में भी एक फ्लोर सर्वे ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है।

एमडी तस्करी में लिप्त बदमाश पकड़ा

जयपुर। महेश नगर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम जयपुर दक्षिण (डीएसटी) ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक तस्कर को पकड़ा है और उसके पास से 9.45 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स बरामद की है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण राजर्षि राज ने बताया कि महेश नगर थाना पुलिस और डीएसटी जयपुर दक्षिण ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स की तस्करी करने वाले तस्कर 25 वर्षीय गणपत प्रजापत निवासी बदनौर जिला ब्यारर हाल नारायण विहार जयपुर को गिरफ्तार किया।

भारत गौरव ट्रेनें देश की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने का सशक्त माध्यम : मदन राठौड़

जयपुर । राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ द्वारा भारत गौरव ट्रेनों के संचालन को लेकर उठाए गए प्रश्नों के उत्तर में केंद्र सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना की व्यापक सफलता और दूरदर्शी सोच को स्पष्ट किया है।

राठौड़ के सवाल के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदन को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेल ने नवंबर 2021 में ‘भारत गौरव ट्रेन’ नीति लागू की, जिसका

उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक धरोहरों को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है। इस नीति के तहत थीम–आधारित पर्यटन सर्किट ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें सेवा प्रदाताओं की पूरी स्वतंत्रता दी गई है कि वे बाजार की मांग और व्यावसायिक व्यवहार्यता के अनुसार पर्यटन कार्यक्रम तय कर सकें। इसमें राजस्थान जैसे पर्यटन–समृद्ध राज्य के

सर्किट भी प्रमुखता से शामिल किए जा रहे हैं।

राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि भारत गौरव ट्रेन योजना से देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्कता मजबूत हुई है और पर्यटन को अभूतपूर्व बढ़ावा मिला है। अब तक भारतीय रेल के 11 ज्यों में 22 सेवा प्रकृता पंजीकृत किए जा चुके हैं, जो वर्तमान में 12 रेकों का संचालन कर रहे हैं। इन ट्रेनों के माध्यम से 30

नवंबर 2025 तक 3,62,880 पर्यटकों को लेकर 590 यात्राएं संचालित की जा चुकी हैं, जो भारत के 24 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रमुख पर्यटन स्थलों को कवर करती हैं। यह आंकड़े इस योजना की लोकप्रियता और सफलता को स्वयं प्रमाणित करते हैं। राठौड़ ने भारत गौरव ट्रेनों को मोदी सरकार की विरासत भी, विकास भी की सोच का सशक्त उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि निजी

भागीदारी को प्रोत्साहन देकर सरकार ने ने केवल रेलवे सेवाओं को आधुनिक बनाया है, बल्कि पर्यटन, स्थानीय रोजगार और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति दी है। कुल मिलाकर, भारत गौरव ट्रेन योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर स्थापित करने और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत और सकारात्मक कदम के रूप में उभर कर सामने आई है।

अनुशासन समिति में डॉ. शुक्ला मनोनीत



जयपुर। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अखिल शुक्ला को बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की अनुशासन समिति का सहवरण सदस्य मनोनीत किया है। डॉ. अखिल शुक्ला वर्ष 1992 से वकालत के मूल् में सक्रिय हैं तथा उन्होंने विधि क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध कार्य भी किया है। वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उनकी विशेष पहचान है। डॉ. शुक्ला राजस्थान वॉलंटरी रक्तदाता सोसायटी के अध्यक्ष हैं तथा राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड के राज्य आयुक्त के रूप में भी सेवाएं दे रहे हैं। वे देशभर में एक प्रेरक रक्तदान कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त, डॉ. अखिल शुक्ला हिंदी प्रचार–प्रसार संस्थान के अध्यक्ष, राजस्थान विश्वविद्यालय के आजीवन सीनेट सदस्य एवं राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

25 साल में महिला कॉलेज व्याख्याता को नहीं मिला न्याय

हाईकोर्ट ने कहा “न्याय व्यवस्था जल्दी न्याय देने में रही विफल”

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी कॉलेज की पूर्व महिला व्याख्याता को भुगतान से जुड़े मामले में गंभीर टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि साल 2000 में उसके पक्ष में केस तय होने के बाद भी उसे अभी तक न्याय नहीं मिल सका। अदालत को यह स्वीकार करना होगा कि हमारी न्यायिक व्यवस्था प्रार्थिया को जल्द न्याय देने में विफल रही है। इसके साथ ही अदालत ने संबंधित संस्थान को कहा है कि वह 30 जून 2026 तक प्रार्थिया के सभी सेवानिवृत्ति परिलाभों की गणना कर उसका भुगतान करें।

वहीं सिविल कोर्ट द्वारा तय की गई बकाया व अन्य राशि के पेटे की राशि 15,57,937/- भी ब्याज एक माह में देने का आदेश दिया है। जस्टिस अनिल उपमन की एकलपीठ ने यह आदेश शकुंतला पाटनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने कहा कि एक बुजुर्ग महिला इस उम्मीद में दर–दर भटकती रही कि उसके पक्ष में हो चुके फैसले का फल उसे मिलेगा, लेकिन यह दुखद स्थिति है कि साल 2000 में उसके पक्ष में केस तय होने के बाद भी उसे अभी तक न्याय नहीं मिल सका। संस्था और राज्य सरकार के बीच अनुदान का विवाद कर्मचारी पर लागू नहीं किया जा सकता। कर्मचारी को पूरा भुगतान करना संस्थान की जिम्मेदारी है, वह राज्य सरकार से बाद में इसे ले सकता है।

मामले से जुड़े अधिवक्ता राजेन्द्र सोनी ने बताया कि याचिकाकर्ता चिड़ावा के इंदिरा गांधी बालिका निकेतन कॉलेज में 1972 अर्थशास्त्र की व्याख्याता के पद पर नियुक्त हुईं। उसकी ओर से लगातार 23 साल की सेवा देने के बाद साल 1995 में बिना

किसी लिखित आदेश व कारण बताए उसे कॉलेज प्रशासन से कार्य करने से रोक दिया। इसे अधिकरण में चुनौती देने पर अधिकरण ने साल 2000 में उसके पक्ष में फैसला देते हुए उसे पुनः सेवा में लेने, वेतन, अवकाश, चयन वेतनमान और भविष्य निधि सहित अन्य लाभ देने का निर्देश दिया। इस आदेश को लागू करवाने के लिए सिविल कोर्ट, चिड़ावा में याचिका दायर की। चिड़ावा कोर्ट ने 16 जनवरी 2004 को प्रतिवादी के खिलाफ वसूली कार्रिकवरी वारंट 28 फरवरी 2004 को जारी किया। इसे कॉलेज ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने साल 2008 में अधिकरण का आदेश बहाल रख कॉलेज की याचिका खारिज कर दी, लेकिन वसूली आदेश का पालन नहीं होने पर प्रार्थिया को वापस हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

कांग्रेस का ध्यान हमेशा भ्रष्टाचार में होता है : मुख्यमंत्री

बीकानेर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस का ध्यान हमेशा भ्रष्टाचार में होता है। कोई भी भ्रष्टाचारी किसी भी कीमत पर नहीं बचेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीति पर राजस्थान में जीरो टॉलरेंस पर हमारी सरकार काम कर रही है, हम भ्रष्टाचार को सहन करने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राजस्थान हरियाणा और केन्द्र में जब कांग्रेस की सरकार थी और मध्यप्रदेश गुजरात में भाजपा की सरकार थी तो इन्होंने जहां कांग्रेस की सरकार थी वहां सिलेण्डर पर पैसा कम कर दिया और जहां भाजपा की सरकार थी वहां कुछ भी नहीं किया। ऐसी दोहरी नीति हम नहीं करते। हम जनता के लिए जमानबंदी के साथ काम करते हैं और जनता के बीच में रहते हैं।

प्रदेश में 44705 लोगों ने किया रक्तदान

जयपुर (कासं)। प्रदेश में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 1 से 15 दिसम्बर तक विभिन्न जिलों में आयोजित किए गए कुल 894 मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य रक्तदान शिविरों में 44705 यूनिट रक्त संग्रहण की मिसाल कायम करते हुए रक्तदाताओं ने हजारों लोगों के जीवन को बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उल्लेखनीय है कि कोटा संभाग में सबसे अधिक 16 हजार 161 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खीवर के निर्देशन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जिलों में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य रक्तदान शिविर भी आयोजित किए गए। रक्तदान शिविरों

■ मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य रक्तदान शिविर में लोगों ने दिखाया उत्साह

में रक्तदाताओं ने आपदा में पड़े किसी भी मरीज के जीवन को बचाने में अपने सामाजिक सरोकारों को निभाया है। साथ ही अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं। चिकित्सा–स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कोटा संभाग में 16161, जयपुर संभाग में 10461, भरतपुर में 2171, बीकानेर में 5777, जोधपुर में 3660, अजमेर 3326 एवं उदयपुर संभाग में 3149 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया है।

स्वच्छ कार्यस्थल से कार्यक्षमता बढ़ती है : टी.रविकांत

जयपुर । राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर मंगलवार को सचिवालय के खान, भूविज्ञान एवं पेट्रोलियम अनुभाग में स्वच्छता अभियान संचालित किया गया। प्रमुख सचिव खान, भूविज्ञान एवं पेट्रोलियम श्री टी. रविकान्त ने अभियान का नेतृत्व में सफाई अभियान के दौरान पत्रावलियों को सुनियोजित करने, काम में नहीं आ रही पत्रावलियों की बीड आउट कार्रवाई शुरू करने और साफ सफाई की गई। प्रमुख सचिव माईस श्री टी. रविकान्त ने इस अवसर पर कार्मिकों से कहा कि कार्यस्थल पर साफ–सफाई हमारी नियमित आदत बननी चाहिए।

अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने का संकल्प : हरि बोरकर

जयपुर। भारत की न्याय व्यवस्था को अधिक सशक्त, सुलभ और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद का तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन 26 दिसंबर से बालोतरा में आयोजित किया जाएगा। इसमें देशभर से चार हजार से अधिक अधिवक्ता सहभागीता करेंगे। अधिवेशन के पोस्टर का विमोचन करते निभाएं। श्री बोरकर ने कहा कि पीडित, उपेक्षित और कमजोर वर्ग तक न्याय पहुंचाने में अधिवक्ताओं की भूमिका सेतु के समान है। जयपुर प्रांत महामंत्री अधिषेक सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान विभिन्न सत्रों में न्यायिक सुधार, लंबित प्रकरणों की

■ अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद का तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन 26 से

प्रणाली में आमजन का विश्वास सुदृढ़ करने की दिशा में भी सक्रिय भूमिका निभाएं। श्री बोरकर ने कहा कि पीडित, उपेक्षित और कमजोर वर्ग तक न्याय पहुंचाने में अधिवक्ताओं की भूमिका सेतु के समान है। जयपुर प्रांत महामंत्री अधिषेक सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान विभिन्न सत्रों में न्यायिक सुधार, लंबित प्रकरणों की

संख्या में कमी, तकनीकी संसाधनों के प्रभावी उपयोग तथा युवा अधिवक्ताओं के प्रशिक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

अधिवेशन में प्राप्त प्रस्तावों के माध्यम से सरकार से न्यायालयों में रिकत पदों को शीघ्र भरने, अधिवक्ताओं के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी बनाने तथा न्यायिक ढांचे को मजबूत करने की मांग की जाएगी। अधिवेशन में सर्वोच्च न्यायालय सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश एवं पूर्व न्यायाधीश, भारत सरकार के विधि एवं कानून मंत्री सहित विधि क्षेत्र से जुड़े अनेक प्रमुख व्यक्तित्व शामिल होंगे।



राजस्थान सरकार के सफल दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पुलिस मुख्यालय में मंगलवार को विशेष स्वच्छ कार्यालय अभियान का आयोजन किया गया। यह अभियान एक घंटे चला, जिसका उद्देश्य स्वच्छ, स्वस्थ और अनुशासित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना था। इस पहल की सबसे खास बात यह रही कि महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा ने स्वयं अधिकारियों के साथ झाड़ू थाम कर सफाई में सक्रिय रूप से भाग लिया।